Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम 2013, हरियाणा के रोहतक व जीन्द का एक अध्ययन

Parveen Kumar*

***शोध आलेख सारः** प्रस्तुत शोधपत्र में ‘राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम, 2013’: हरियाणा के रोहतक व जीन्द जिले में क्रियान्वयन का एक अध्ययन किया गया है। जो अधिनियम के विशेष प्रावधान ‘6 से 14 वर्ष तक के बच्चो को विद्‌यालय में (मिड-डे-मील के अन्तगत) दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर आधारित जिसके लिये हरियाणा के दो जिलों रोहतक व जीन्द से 144 छात्रों (कक्षा 6,7,8 वीं) को दैव- निर्दशन विधि द्‌वारा किया गया है। प्रस्तुत शोध में बच्चों को मिलने वाले राशन या भोजन की गुणवता, पर्याप्तता व खाना बांटने वाली कार्यकत्र्री का बच्चों के प्रति व्यवहार को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही आंकडों से प्राप्त निष्कर्ष व सुझावों का भी वर्णन किया गया है।*

***मुख्य शब्द:** मिड-डे-मिल, गुणवता, पर्याप्तता इत्यादि।*

----------------------------------x----------------------------------

गरीबी वह रक्तबीज है जिसके रक्त की गिरती हर बूंद एक नया दैत्य खडा करती है। इसके पीछे की आत्मा भूख है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे इसकी आत्मा के साथ नष्ट किया जाए। यानि गरीबी के खिलाफ जारी वर्तमान जंग को जीतने के लिए सबसे पहले भुखमरी का सफाया करना होगा। भूख अकेली नहीं आती, भूख से रोगों का जन्म होता है, अकाल मृत्यू होती है। यही भूख लोगों की कार्यक्षमता को क्षीण कर देती है। इतना ही नहीं यह बच्चों से उनकी सीखने की शक्ति छीन लेती है। उनका सम्पूर्ण विकास अवरूद्ध कर देती है। बात तब एक पीढ़ी तक नहीं ठहर जाती। इस प्रकार का दुश्चक्र खराब स्वास्थ्य के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी, इस प्रकार निरंतर चलता रहता है।

इस समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे है। क्योंकि कुपोषण गरीबी की समस्या का एक आयाम हैं। मानव जीवन के अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा-मकान में रोटी सर्वप्रमुख एवं अपरिहार्य है। पेट भरने के बाद ही हम अन्य आवश्यकताओं एवं अन्यविषय की बात कर सकते हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार ने लम्बी जद्दोजहद एवं तमाम मतभेदों के बीच खाद्‌य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी देकर संसद द्‌वारा पारित कराकर लागू कर दिया है। इस कानून की सबसे अहम बात यह है कि इसमें पहली बार यह माना गया है कि भोजन प्राप्त करना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। सूचना के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के बाद अब भोजन के अधिकार का बिगुल बज चुका है। 5 जुलाई, 2013 से राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को लागू समझा जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:-

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चावल 3 रु प्रति किलोग्राम और गेहूँ 2 रु प्रति किलोग्राम व मोटा अनाज एक रूपये पति किलोग्राम की दर से मिलेगा।
- 67 फीसदी लोगों को फायदा मिलेगा। देश की करीब 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी इस कानून के दायरे में आएगी।
- इस अधिनियम के अन्तगत गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता देने के लिए प्रावधान है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता गर्भावस्थ के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात्‌ छह मास तक निःशुल्क

www.ignited.in

भोजन और कम से कम छह हजार रूपए के प्रसूति फायदों की हकदार होगी।

- छह मास से छह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, आयु के समुचित निःशुल्क भोजन दिया जाएगा।
- कक्षा 8 तक के अथवा छह से चैदह वर्ष के आयु समुह के बीच के बालकों की दशा में स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोडकर प्रत्येक दिन निःशुल्क एक बार दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- प्रावधान करता है कि यह अधिनियम भोजन/खाद्यान्न उपलब्ध न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।
- कार्यकम्र के अन्तगत जारी होने वाले राशन कार्डो पर परिवारों के मुखिया के रूप में परिवार की सर्वाधिक आयु वाली महिला (18 वर्ष से अधिक आयु) का नाम दर्ज होगा।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में राज्य खाद्य आयोग का गठन का प्रावधान है।
- अधिनियम में जिला स्तर पर शिकायत निवारण तन्त्र स्थापित करने का प्रावधान है।
- अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती प्रदान करना व भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रावधान किया गया है।
- सुधारों के अन्तगत खाद्यान्नों की उचित दर की दुकानों द्वारा डिलीवरी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरम्भ से अन्त तक कम्प्यूटरीकृत किया जाने का प्रावधान है।

शोध को मुख्य लक्ष्य/उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का विशेष प्रावधान ‘कक्षा आठवीं तक के अथवा छ से चैदह वर्ष तक की आयु के बच्चो को निःशुल्क दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा’। के आधार पर अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित हैः-

- बच्चों को मिलने वाले भोजन की पर्याप्तता व गुणवत्ता को जानने का प्रयास करना।
- बच्चों को खाना बांटने वाली महिला के व्यवहार (बच्चों के प्रति) को जानने का प्रयास करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध की प्रकृति विवरणात्मक है। अध्ययन क्षेत्र में हरियाणा राज्य के दो जिलों रोहतक व जीन्द को शामिल किया गया है। दोनों जिलों रोहतक (5 खण्ड़) व जीन्द में (7 खण्ड़) में से दो-दो खण्ड़ों को शामिल किया गया है। प्रत्येक खण्ड से तीन-तीन गाँव यानि कुल 12 गाँवों से प्रत्येक सरकारी स्कूल का चयन दैव-निर्दशन विधि से किया गया है। प्रत्येक स्कूल से कक्षा 6 से 8 यानि तीनों कक्षाओं से 4-4 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्राथमिक आकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीय आंकडों के लिए पुस्तकों, लेखों, इंटरनेट, शोध प्रपत्रों, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श का वर्गीकरण

क्र॰ स॰	जिला	चयनित विद्यालय के गाँव	प्रत्येक चयनित गाँव के विद्यालय से विद्यार्थियों की संख्या कक्षा (6–8 तक)	कुल उत्तरदात्ताओं की कुल संख्या
1	रोहतक (रोहतक व सांपला खण्ड़)	मायना, कारोर, f"मिली, पहरावर, खेड़ी साध, दत्तौड़	12×6=72	72
2	जीन्द (जीन्द व जुलाना खण्ड़)	करसोला, नन्दगढ़, जैजैवन्ती, बहबलपुर, घिमाणा, गोविन्दपुरा	12×6=72	72
3	कुल			144

परिणाम और विचार विमर्श

- क्या आपके विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था (मिड-डे-मिल योजना के अन्तगत) की गई है ?

मध्याहन भोजन योजना बच्चों के लिए ‘पूरक पोषण’ के स्त्रोत् और उनके स्वस्थ विकास के रूप में कार्य करता है। इससे छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। इसके बारे में जानकारी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी तथ्य को आधार मानकर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या आपके विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था (मिड-डे-मिल के अन्तगत) की गई है।

- क्या आपके विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था (मिड-डे-मिल के अन्तगत) की गई है ?

क्र० स०	जिला	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	72 (50.00%)	0 (00.00%)	72 (50.00%)
2	जीन्द	72 (50.00%)	0 (00.00%)	72 (50%)
3	कुल	144 (100%)	0 (00.00%)	144 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़ें

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि जिला रोहतक व जीन्द में सभी यानि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है उनका कहना है कि उन्हें विद्यालय में दोपहर के समय गर्म पका-पकाया भोजन (मिड-डे-मिल योजना के अन्तगत) दिया जाता है।

अतः इस प्रकार दोनों ही जिलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। जिसका कारण सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का विशेष प्रबन्ध है।

- क्या आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिन्यु के अनुसार दिया जाता है ?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति तथा पौष्टिकता के स्तर को बढाना है। स्कीम के अन्तगत छात्रों को पका-पकाया भोजन 16 व्यंजन, जिनमें से 8 व्यंजन गेहूँ तथा 8 व्यंजन चावल पर आधारित हैं, दिए जाते हैं। ये व्यंजन छात्रों को प्रतिदिन बदल-बदल कर दिए जाते हैं। जिसमें प्राइमरी छात्रों को 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाते हैं। अतः इसी विवरण को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिन्यु के अनुसार दिया जाता है।

- क्या आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिन्यु के अनुसार दिया जाता है ?

क्र० सं०	जिला	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	72 (50%)	0 (00.00%)	72 (50%)
2	जीन्द	72 (50%)	0 (00.00%)	72 (50%)
3	कुल	144 (100%)	0 (00.00%)	144 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़ें

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आकँड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि जिला रोहतक व जीन्द में 100 प्रतिशत या सभी उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके विद्यालय में जो मिड-डे-मिल के अन्तगत दोपहर का भोजन दिया जाता है। वह निर्धारित मिन्यु के अनुसार दिया जाता है। जिसका कारण सरकार द्वारा खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाना है।

अतः दोनों जिलों के अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों जिलों में मध्याह्न भोजन निर्धारित मिन्यु के अनुसार ही दिया जाता है।

- क्या दोपहर का भोजन आपको पर्याप्त (भरपेट) मात्रा में मिल जाता है ?

प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन मिड-डे-मिल दिया जाता है जिसमें प्राइमरी के छात्रों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन तथा माध्यमिक कक्षाओं को 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाते हैं। इसी विवरण के आधार पर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है। कि क्या दोपहर का भोजन पर्याप्त (भरपेट) मात्रा में मिलता है ?

- क्या आपको दोपहर का भोजन पर्याप्त (भरपेट) मात्रा में मिल जाता है ?

क्र० सं०	जिला	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	72 (50.00%)	0 (00.00%)	72 (50.00%)
2	जीन्द	72 (50.00%)	0 (00.00%)	72 (50%)
3	कुल	144 (100%)	0 (00.00%)	144 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़ें

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि जिला रोहतक व जीन्द में सभी यानि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें जो मिड-डे-मिल के अन्तगत दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वो उन्हें पर्याप्त (भरपेट) मात्रा में मिलता है। जिसका कारण सरकार द्वारा खाद्य सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना है।

अतः दोनों जिलों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों जिलों में सभी चयनित विद्यालयों में दोपहर का भोजन पर्याप्त मात्रा में (भरपेट) उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को सफल बनाने का सार्थक प्रयास है।

- आपको मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी है ?

छात्रों की संख्या अनुसार प्रतिदिन निर्धारित व्यंजन तैयार करके स्वंय सहायता समूहों की सहायता से छात्रों को दिए जाते है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मिड-डे-मिल बनाने का प्रयोग किए जाने वाले खाद्यान्न व बर्तनों को भली प्रकार से साफ करवाकर ही खाना बनवाया व परोसा जाए। अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आपको मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी है ?

- आपको मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी है ?

क्र॰ सं॰	जिला	बहुत अच्छी	अच्छी	सामान्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	29 (20.10%)	37 (25.70%)	06 (04.20%)	72 (50.00%)
2	जीन्द	16 (11.10%)	52 (36.10%)	04 (02.80%)	72 (50%)
3	कुल	45 (31.20%)	89 (61.80%)	10 (06.90%)	144 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकडें

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकडों के परिणाम से स्पष्ट है कि जिला रोहतक व जीन्द में 61.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मिड-डे-मिल के अन्त्तगत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता अच्छी, 31.20 प्रतिशत के अनुसार बहुत अच्छी व 6.90 प्रतिशत सामान्य है। जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता भी ठीक होना है। इसके अतिरिक्त ताजी व हरि सब्जियाँ इत्यादि का प्रबन्ध भी इन्चार्ज अध्यापक अच्छे से करता है। विद्यालयों में पानी, ईंधन, रसोई इत्यादि सभी सुविधाओं के कारण भोजन की गुणवत्ता अच्छी व बहुत अच्छी बताई है।

इसी सन्दर्भ में जिला रोहतक में 25.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार भोजन की गुणवत्ता अच्छी, 20.10 प्रतिशत के अनुसार बहुत अच्छी है केवल 04.20 प्रतिशत के अनुसार सामान्य है।

इसी प्रकार जीन्द में भोजन की गुणवत्ता 36.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार 11.10 प्रतिशत के अनुसार बहुत अच्छी है। केवल 02.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ही सामान्य है।

अतः दोनों जिलों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जिला रोहतक की तुलना में जीन्द में भोजन की अच्छी गुणवता के सन्दर्भ में उतरदाताओं की संख्या अधिक है। जबकि बहुत अच्छी गुणवता के सन्दर्भ में जीन्द की अपेक्षा रोहतक के उतरदाताओं की संख्या अधिक है।

- खाना बाँटने वाली महिला (कार्यकत्री) का आपके प्रति व्यवहार कैसा है ?

स्वंय सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मिड-डे-मिल के अन्त्तगत स्कूली छात्रों के लिए भोजन बनाती है। और बनाने के बाद परोसती है। इन महिलाओं का व्यवहार बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तथ्य के आधार पर बच्चों व बाँटने वाली महिला का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है।

क्र॰ सं॰	जिला	असन्तोषजनक	सन्तोषजनक	सामान्य	उत्तरदात्ताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	01 (00.70%)	64 (44.40%)	07 (04.90%)	72 (50.00%)
2	जीन्द	01 (00.70%)	69 (47.90%)	03 (02.10%)	72 (50%)
3	कुल	01 (00.70%)	133(92.40%)	10 (06.90%)	144 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि जिला रोहतक व जीन्द में 92.40 प्रतिशत उतरदाताओं का मानना है कि खाना बाँटने वाली कार्यकत्र्री का व्यवहार सन्तोषजनक है। जिसका कारण मिड-डे-मिल इन्चार्ज अध्यापक की निगरानी में काम करना भी है। 06.90 प्रतिशत के अनुसार सामान्य व केवल 00.70 प्रतिशत का असन्तोषजनक है।

इसी प्रकार जिला रोहतक में 44.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार खाना बाँटने वाली कार्यकत्र्री का व्यवहार सन्तोषजनक, 04.90 प्रतिशत का सामान्य व 00.70 प्रतिशत का असन्तोषजनक है।

इसी सन्दर्भ में जीन्द में 47.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार खाना बाँटने वाली कार्यकत्री का व्यवहार सन्तोषजनक व 02.10 प्रतिशत सामान्य है।

अतः इस प्रकार दोनों जिलों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही जिलों में खाना बाँटने वाली कार्यकत्रीयों का व्यवहार सन्तोषजनक है।

निष्कर्ष व सुझाव:-

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त आंकडों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों जिलों के सभी उतरदाताओं को मिड-डे-मिल के अन्त्तगत विद्यालयों में दोपहर का भोजन मिलता है। और सभी को भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है और मिन्यु के अनुसार ही दिया जाता है। दोनों जिलों में मिलने वाले भोजन की गुणवता आधे से अधिक उतरदाताओं के अनुसार अच्छी है। और लगभग आधे उतरदाताओं के अनुसार बहुत अच्छी है। परन्तु बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं इसलिए भोजन की गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे पोषण स्तर में सुधार होगा। इसी प्रकार दोनों ही जिलों में खाना बांटने वाली महिलाओं का व्यवहार

बच्चों के प्रति सन्तोषजनक है। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा इनको समय-समय पर जागरूक करना चाहिए। ताकि ये खाना बनाने में साफ सफाई का ध्यान रखें और बच्चों के प्रति व्यवहार में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

सन्दर्भ सूची

1. कुलदीम शर्मा, 'जब हर थाली भर जाएगी', नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरूक्षेत्र, वा॰ 47, अंक॰ 1, नवम्बर 2001, पृ॰ 4-6

2. जी॰एल॰शर्मा, 'सामाजिक मुद्दे' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015, पृ॰ 106-107

3. यशवंत सिंह रावत, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जैविक खेती जरूरी, वाल्यूम 50 अंक 05, कुरूक्षेत्र, मार्च 2012, पृ॰ 29-34

4. मनव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं पत्र सूचना कार्यालय।

5. मनीष गर्ग, कल्याण शंकर, 'मिड-डे-मिल फॉर द पूअर, प्राइवेटाइजड एजुकेशन फॉर द नॉन-पूअर' इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वा॰ 48, न॰30, जूलाई 2013

6. अनिता पठानिया, कुलवन्त पठानिया, 'प्राइमरी एजुकेशन एण्ड मिड-डे-मिल स्कीमः रजल्ट्स, चैलेंजिज एण्ड रिकोमैनडेशनस,' दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006, पृ॰ 206

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

Corresponding Author

Parveen Kumar*

jontygohana@gmail.com